डीआरआई द्वारा बैंकॉक से आए 3 यात्रियों के चेक-इन बैगेज में 18 गैर-स्वदेशी पशुओं का पता लगाया गया

अनुवर्ती तलाशी में 48 विभिन्न प्रजातियों के 139 और पशुओं की बरामदगी, 4 गिरफ्तार

प्रविष्टि तिथि: 27 JAN 2023 8:16 PM by PIB Delhi

विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर, राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) के अधिकारियों ने 22.01.2023 को बैंकॉक से बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचे तीन यात्रियों (जिसमें एक महिला यात्री भी शामिल थी) को पकड़ा।

उनके चेक-इन बैगेज की जांच के दौरान कर्नाटक वन विभाग के अधिकारियों की सहायता से 18 गैर-स्वदेशी पशु (4 प्राइमेट्स और 14 सरीसृप) बरामद किए गए। इनमें से 10 प्रजातियाँ सीआईटीईएस (CITES) की परिशिष्ट-II (Appendix-II) में सूचीबद्ध हैं।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (समय-समय पर संशोधित) के अंतर्गत परिभाषित वन्य पशुओं (तथा उनके अंगों और उत्पादों) का आयात प्रतिबंधित है तथा CITES (वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय) में सूचीबद्ध प्रजातियाँ सीआईटीईएस (CITES) के प्रावधानों के अधीन होती हैं। उक्त यात्रियों द्वारा तस्करी का प्रयास किए गए इन पशुओं को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत जब्त किया गया।

कर्नाटक वन विभाग तथा WCCB, चेन्नई से प्रतिनियुक्त अधिकारी की सहायता से की गई त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई में बेंगलुरु स्थित एक फार्महाउस (जिसका उपयोग इसी प्रकार तस्करी किए गए वन्यजीवों के भंडारण हेतु किया जा रहा था) से 48 विभिन्न प्रजातियों के 139 और पशु, जिनमें 34 CITES-सूचीबद्ध प्रजातियाँ शामिल हैं, बरामद किए गए। वन्यजीव वस्तुओं के विधिसम्मत आयात से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए, न ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यजीव प्रभाग) की स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (जिसकी विस्तारित अंतिम तिथि मार्च 2021 थी) के अंतर्गत कोई विवरण प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, तस्करी मार्ग के माध्यम से गैर-स्वदेशी वन्यजीवों की खरीद-फरोख्त, व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेन-देन से संबंधित वित्तीय साक्ष्य सामने आए हैं।

बरामद पशुओं में अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ शामिल हैं, जैसे–येलो एवं ग्रीन एनाकोंडा,

येलो-हेडेड अमेज़न तोता, नाइल मॉनिटर, रेड-फुट कछुआ, इगुआना, बॉल पाइथन, एलिगेटर गार, याकी बंदर, वेल्ड कैमेलियन, रैकून डॉग, व्हाइट-हेडेड पियोनस आदि। इन सभी पशुओं को बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान को सौंप दिया गया है।

अब तक भारत में तस्करी में संलिप्त 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

चित्र

RM/PPG/KMN

(Release ID: 1894197)